I/970754/2025/
संख्या- / 65-3099/58/2022

प्रेषक,
सुभाष चन्द शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 23 मई, 2025

विषय:- उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुनर्चिन्हांकन ।

महोदय,

दिव्यांगजन के हित संरक्षण एवं उनके सामाजिक व आर्थिक पुनर्वासन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा नि:शक्त जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को निरसित करते हुए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 लागू किया गया है। इस अधिनियम की धारा-33 में दिव्यांगजन को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से आरक्षण हेतु पदों के चिन्हांकन किये जाने का प्राविधान है।

2- उर्पयुक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-4/2018/18/1/2008-का-2/2018, दिनॉक 25 सितम्बर, 2018 द्वारा दिव्यांगजन के लिए लोक सेवाओं में 4 प्रतिशत पदों के आरक्षण के आदेश जारी किये गये हैं। इस हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2018 प्रख्यापित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का एक-एक प्रतिशत खण्ड (क), (ख), (ग) और एक प्रतिशत खण्ड (घ) और (ड़) के अधीन निम्नलिखित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया गया है:-

(क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि
(ख) बधिर और श्रवण शक्ति ह्रास
(ग) प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी नि:शक्तता,
(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक नि:शक्तता
(ड) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु नि:शक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नि:शक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है।

3- उक्त के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टी0सी0, दिनांक 30.07.2021, शासनादेश संख्या-02/2022/आई/246279/2022/65-3099/58/2022-3, दिनांक 09.12.2022 एवं शासनादेश संख्या-3/2024/756713/2024/65-3-2024/65-3099/58/2022 दिनांक 30.09.2024 द्वारा लोक सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के पदों का पुनर्चिन्हांकन किया गया है।

4- पदों के पुनर्चिन्हांकन संबंधी उक्त शासनादेश दिनॉक 30.07.2021, 09.12.2022 एवं 30.09.2024 में कतिपय विभागों द्वारा दिव्यांगजन हेतु चिन्हित किये गये कतिपय पदों की श्रेणी/उपश्रेणी चिन्हित न किये जाने के दृष्टिगत सबंधित विभागों से प्रस्ताव प्राप्त करते हुए विशेषज्ञ समिति की बैठक/समीक्षा के उपरान्त उक्त शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टी0सी0, दिनांक 30.07.2021, शासनादेश संख्या-

02/2022/आई/246279/2022/65-3099/58/2022-3, दिनांक 09.12.2022 एवं शासनादेश संख्या-3/2024/756713/2024/65-3-2024/65-3099/58 /2022, दिनांक 30.09.2024 के अनुक्रम में निम्नानुसार चिन्हांकन/पुनर्चिहांकन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

| क्र0सं0 | विभाग का नाम | समूह | पदनाम | श्रेणी/ उप श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 1- | नमामि गर्गे एवं जलापूर्ति विभाग (लघु सिचाई विभाग) | क | अधिशासी अभियन्ता | एल0वी0, एच0एच0, ओ0ए0, ओ0एल0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0 |
| | | ख | सहायक अभियन्ता | एल0वी0, एच0एच0, ओ0ए0, ओ0एल0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0 |
| | | ग | अवर अभियन्ता | एच0एच0, ओ0ए0, ओ0एल0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0 |
| | | | बोरिंग टेक्नीशियन | एच0एच0, ओ0ए0, ओ0एल0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0 |
| | | | सहायक बोरिंग टेक्नीशियन | एच0एच0, ओ0ए0, ओ0एल0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0 |
| | | | अमीन | एच0एच0, ओ0ए0, ओ0एल0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0 |
| 2- | पंचायती राज विभाग (राज्य निर्वाचन आयोग) | ग | कनिष्ठ सहायक | एल0वी0, एच0एच0, ओ0एल0, बी0एल0, डीडब्लू, ए0ए0वी0 |
| | | घ | समूह-घ के पद | एल0वी0, डी0, एच0एच0, ओ0ए0, डीडब्लू, ए0ए0वी0 |
| 3- | न्याय विभाग (डा0 राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज) | ग | सहायक लेखाकार | एल0वी0, एच0एच0, ओ0ए0, ओ0एल0, बी0एल0, ओ0ए0एल0, एल0सी0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0 |
| | | | आशुलिपिक | एल0वी0, ओ0ए0, ओ0एल0, बी0एल0, ओ0ए0एल0, एल0सी0, डीडब्लू0 , ए0ए0वी0 |
| | | | कनिष्ठ सहायक | एल0वी0, एच0एच0, ओ0ए0, ओ0एल0, बी0एल0, ओ0ए0एल0, एल0सी0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0 |
| | | | कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए) | एल0वी0, एच0एच0, ओ0ए0, ओ0एल0, बी0एल0 ओ0ए0एल0, एल0सी0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0 |
| 4- | सचिवालय प्रशासन विभाग | ख | अनुभाग अधिकारी (लेखा) | एल0वी0, एच0एच0, सी0पी0, एल0सी0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0, एम0डी0वाई0, ओ0ए0, ओ0एल0, बी0, बी0एल0 |
| 5- | ग्राम्य विकास विभाग (दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान लखनऊ) | ग | शोध सहयुक्त | दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3/2021/324/ 2021 /65-3-2021-78/99 टी0सी0, दिनांक 30.07.2021 में ग्राम्य विकास विभाग के अधीन दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ के अन्तर्गत क्रमांक-19 के उपखण्ड-ग में "शोध सहायक" पदनाम को "उ0प्र0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण और शोध संस्थान समूह-ग सेवानियमावली-1994" के अनुरूप "शोध सहयुक्त" संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। |

5 - शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99 टी0सी0, दिनांक 30.07.2021, शासनादेश संख्या-02/2022/आई/246279/2022/65-3099/58/2022-3, दिनांक 09.12.2022 एवं शासनादेश संख्या-3/2024/756713/2024/65-3-2024/65-3099/58/2022 दिनांक 30.09.2024 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

6- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिव्यांगजनों के लिये उपरोक्तानुसार विभागवार चिह्नांकित/पुनर्चिहांकित पदों पर नियमानुसार नियुक्ति सुनिश्चित कराये जाने के सबंध में कार्यवाही करने का कष्ट करें।

7- कृपया उक्त आदेशों से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/ प्राधिकारियों को भी अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि इसका कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

8- यह शासनादेश http://shasanadesh.up.gov.in पर उपलब्ध है।

भवदीय,

Digitally signed by
SUBHASH CHAND SHARMA
Date: 22-05-2025 (सुभाष चन्द शर्मा)
20:01:38 प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0।
(4) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, लखनऊ।
(5) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(6) निजी सचिव, विशेष सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
RAKESH KUMAR YADAV
Date: 23-05-2025
12:15:20

(राकेश कुमार यादव)
उप सचिव।